The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 10 | October 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति के सामाजिक विकास पर प्रभाव

Shashank Shukla

Ph.D Research Scholar, Department of Sociology, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow

Email Id- vshashankshukla9450@gmail.com

DOI : https://doi.org/ 10.5281/zenodo.17696583

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 28-10-2025

Published: 10-11-2025

Keywords:

अनुसूचित जनजाति, पंचायती राज व्यवस्था, हाशिएकृत समूह, सामाजिक विकास, समतामूलक नीति, भारतीय संविधान, समावेशन

ABSTRACT

भारतीय राष्ट्र अनेक जातियो, जनजातियो, समुदायो, तथा वर्गों से स्तरीकृत है । विविधता से परिपूर्ण इस राष्ट्र में समतामूलक नीतियों का निर्माण तथा उनका समुचित क्रियान्वयन भारतीय संविधान तथा सरकारों का प्राथमिक लक्ष्य रहा है जिससे सामाजिक व्यवस्था निर्मित रहे एवं समाज के हाशिएकृत समूह को भी अन्य समूह के सदस्यों के अनुरूप समान न्याय, समान अधिकार, तथा समानता प्राप्त हो सके एवं उनका समावेशन हो पाये । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार राष्ट्र के संपूर्ण विकास पर अपना लक्ष्य केंद्रित करके प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तनों के माध्यम से विकास की तीव्रता को जन्म दिया किंतु इसका ग्रामीण सामुदायिक विकास में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा जिसके पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों तथा ग्रामीण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया एवं 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण 'पंचायती राज व्यवस्था' को अधिक शक्तिशाली एवं शक्तियो के विकेन्द्रीकृत हेतु स्थापित किया गया । 1977 अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायत संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73th

संविधान संशोधन 1992 में किया गया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य गरीबी तथा हाशिएकृत स्तर का जीवनयापन कर रहे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के सामाजिक विकास पर पंचायती राज व्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन किया गया है अध्ययन में द्वितीयक स्रोतो के माध्यम से, मुख्यत: भारतीय जनगणना तथा जनजातीय मंत्रालय से संबंधित आंकड़ों का संकलन करके अध्ययन किया गया है ।

प्रस्तावना

भारतीय समाज प्राचीन काल से अनेक , वर्गों ,जातियों समुदायों एवं समूहों में विभक्त हैं भारत में किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में विश्व की सर्वाधिक जनजातीय जनसँख्या निवास करती हैं जनजातीय समुदायों को सर्वाधिक वंचित रूप में देश जाता हैं क्यों कि अपने विशिष्ट संस्कृति तथा प्राकृतिक वातावरण में निवास करने के कारण इनमे निम्न गतिशीलता , अपने अधिकारों से अपरिचितता जागरूकता का अभाव पाया जाता हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इन्हे अलगाव। गरीबी, अशिक्षा निम्न स्वस्थ स्तर तथा अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा संरचित कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओ के माध्यम से नागरिको को समानता, समान अधिकारों तथा समान न्याय के प्राप्ति हो सके एवं समाज के वंचित समूह भी अन्य समूहों के भाति समावेशित जीवन यापन कर पाए ।

मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग 22% भाग अनुसूचित जनजाति से संबंधित है मध्यप्रदेश में भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातिया निवास करती हैं I प्राचीन काल से ही अनुसूचित जनजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषता के कारण समाज के अन्य समूहों से अलगाव पूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे हैं जिसका एक प्रमुख कारण अनुसूचित जनजाति का अपने सांस्कृतिक विरासत को संजोये रखना है I समाज से अलग-थलग रहने के कारण इनमें निम्न गतिशीलता, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य स्थिति, जागरूकता का अभाव, निम्न आर्थिक स्थिति आदि कारणों से

अपने दिनचर्या जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता रहा है जिसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है किंतु वर्तमान आधुनिक समाज में भी इनकी भागीदारी समाज के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निम्न अथवा नगण्य पाई जाती है अनेक स्थानों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी इनकी सह-भागिता पूर्ण नहीं हो पाती है I

आदिवासी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ मूल निवासी होता हैं, भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पहले निवासी मने जाते हैं अपने विशिष्ट आदिम संस्कृति, कृषि प्रणाली, दुर्गम क्षेत्रो में निवास करने के कारण ये प्राचीन समय से ही समाज के मुख्यधारा में सम्मिलित होने से वंचित रहे हैं। आधुनिकता के वर्तमान समय में भी ऐसे सैकड़ों जनजातीय हैं जो अपनी सांस्कृतिक विरासत ,व्यवस्थाओं एवं प्रथाओं का नियमित पालन करते हुए अपनी आदिम संस्कृति को संजोये हुए जीवनयापन कर रही हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में क्रियान्वयित विभिन्न नीतियों तथा योजनाओं ने जनजातीय समुदायों को अनेको समस्याओं का सामना करने पर विवश कर दिया क्यों कि जल जंगल जमीन जो इन आदिवासी समुदायों के आजीविका का मुख्य स्रोत थे ,ब्रिटिश नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वे इन्ही संसाधनों से वंचित हो गए । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर इन आदिवासियों को हाशिये से मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु निरंतर अनेक संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों एवं योजनाओ का क्रियान्वयन किया जाता रहा हैं। पंचायती राज व्यवस्था जिसका उद्देश्य शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण तथा ग्रमीण समाजों को संपन्न करके राष्ट्र को विकसित करना हैं इस व्यवस्था को बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लागू किया गया तथा 73 वे संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्ज़ा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य केंद्र के शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामीण स्तरीय प्रणाली लागू करके नगरीय विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी सामान विकास के लिए सक्षम बनाना था। प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश राज्य पर आधारित हैं जहाँ सर्वाधिक भारतीय जनजातियाँ निवास करती हैं यह अध्ययन मध्य प्रदेश के आदिवासियों के सामजिक विकास के अध्ययन पर

आधरित हैं जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था का जनजातीय विकास पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करना हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति

2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसँख्या कुल जनसँख्या का 21.1% हैं लगभग 24 जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती हैं जिनमे अनेक उपजातिया भी सम्मिलित हैं। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक भील जातीय निवास करती हैं जो अपने तीर धनुष के पारम्परिक खेल के लिए प्रसिद्ध हैं एवं सांस्कृतिक कलाओ में विश्व ख्याति प्राप्त कर चुकी है। भील के अलावा गोंड, बैगा, सहरिया, कोरकू उरांव आदि जनजाति भी मध्य प्रदेश में निवास करती हैं जिनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत हैं।

अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधान

जनजाति विकास के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक कल्याण ,समानता ,एवं सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधानों का निर्माण किया गया हैं। सम्पूर्ण विकास के उद्देश्य में कार्यरत भारतीय सरकार विशेष अधिनियम के गठन के माध्यम से निरंतर वंचित नागरिकों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत हैं। अनुच्छेद-342 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी समुदाय, अथवा जाति को अपने संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता हैं। अनुच्छेद-244 एवं 244 (अ) में सम्मिलित पांचवी एवं छठी अनुसूची में जनजातियों के लिए प्रमुख प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं। 1996 में PESA अधिनियम का गठन करके जनजातीय समुदाय की स्थानीय स्वशासन की स्थापना सुनिश्चित करना था। भारतीय संविधान जाति वर्ग प्रजाति संस्कृति रंग आधी आधारों पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद-15 , रोजगार में समानता हेतु अनुच्छेद-16 अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद-19 अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अनुच्छेद-17 शैक्षणिक एवं आर्थिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 45 लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों के आरक्षण हेतु क्रमशः अनुच्छेद-330 तथा अनुच्छेद-332 , अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन हेतु अनुच्छेद-338 आदि संवैधानिक प्रावधानों को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को समाज के बहिष्कृत समाज से मुख धारा में शामिल करने हेतु प्रभावी हैं।

साहित्यिक समीक्षा

भारतीय आर्थिक विकास पर केंद्रित अध्ययन में अमर्त्य सेन ने तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग करके यह बताने का प्रयास किया कि स्थानीय स्वशासन मुख्यतः उच्च वर्गों तथा जातियों में सिमट कर रह चुका हैं जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में भी महिलाओ के भागेदारी ग्रामीण स्तर पर अत्यधिक निम्न हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को एक बड़ा कारण स्थानीय स्वशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा वर्चस्व की राजनीति भी हैं जो विषमताओं को निरंतर बढ़ावा देता हैं (अमर्त्य सेन :2000) I अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिलाओ के अध्यात्म पर केंद्रित प्रस्तुत शोधपत्र पंचायती राज व्यवस्था से महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों को वर्णित करती हैं। शोध के माध्यम से यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान समय में उच्चतम तथा प्रशासनिक पदों पर भले ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा हैं किन्तु ब्राह्मणवादी एवं पितृसत्तात्मक विचारधारा के प्रभावी होने के कारण उन्हें अपने पदों से सम्बंधित अधिकारों को स्वैक्षिक तरीके से लेने के पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हैं (सुधीर पाल रणेन्द्र: 2002) I अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर पंचायती व्यवस्था के प्रभाव को वर्णित किया गया हैं। पंचायतो के कारण राजनीतिक भागेदारी तथा सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा मिला हैं तथा ग्रामीण निवासियों में प्रशासनिक भय की समाप्ति हुई हैं जिससे उनसे सम्बंधित समस्याओं के निवारण में प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुलभता हुई हैं (रजनी : 2018) वर्तमान समय में जनजातीय विकास भारत के सम्पूर्ण विकास में एक प्रमुख अवरोध हैं जिसको सुलझाने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों से नागरिको को जागरूक करना होगा जिसका एकमात्र विकल्प शिक्षा का प्रसार हैं(सुमित कुमार : 2020) I अरुणांचल प्रदेश के जनजातियों पर आधारित प्रस्तुत अध्ययन पंचायती राज व्यवस्था का जनजातियों पर पड़े प्रभाव को विश्लेषित करती हैं अध्ययन में बताया गया कि जनजातियों पर सकारत्मक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पड़ा हैं। विकेन्द्रीयकरण शक्तियों के फलस्वरूप न केवल उनमे सामाजिक जागरूकता का प्रसार हुआ हैं अपितु राजनीतिक क्षेत्रो में भी उनकी भागेदारी बढ़ी हैं।(तामे राम्या :2021)

समस्या का कथन

भारत में पंचायती राज प्रणाली (PRS) का स्थापना मुख्य रूप से स्थानीय शासी संस्थाओं के माध्यम से शासन को विकेंद्रीकरण और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के एक प्रभावी साधन के रूप में लागू किया गया है। हालांकि, संविधानिक अधिकारों और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के पश्चात भी मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास पर पंचायती राज प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन और विश्लेषण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास में पंचायती राज प्रणाली की भूमिका और प्रभावशीलता का आकलन करना है ।यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करेगा कि किस हद तक पंचायती राज प्रणाली ने इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, राजनीतिक सहभागिता और सामाजिक न्याय जैसी सेवाओं तक पहुंच में सहारा दिया है। इस अध्ययन के माध्यम यह ज्ञात हो पायेगा कि अनुसूचित जनजातियाँ पंचायती राज संस्थाओं का प्रभावी उपयोग करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करती हैं। अध्ययन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि यह प्रणाली मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौतियों का समाधान में कितनी प्रभावी है।

शोध प्रविधि

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के सामजिक विकास के अध्ययन पर आधारित प्रस्तुत अध्ययन में मात्रात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया हैं। अध्ययन में तुलनात्मक तथा विवरणात्मक शोध के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के सामाजिक विकास की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से तथ्यों का संकलन करके उन्हें विश्लेषित करके अध्ययन को पूर्ण किया गया हैं। जो मुख्यतः मध्यप्रदेश से

सम्बंधित शोध पत्रिकाओं , शोध पत्रों , पुस्तकों ,भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट 1971 -2011 , ग्रामीण विकास मंत्रालय रिपोर्ट, आदि सरकारी तथा गैर सहकारी संस्थानों से आकड़ो का संकलन किया गया हैं।

लिंगानुपात

आधुनिकता की तरफ निरंतर गतिशील भारतीय समाज के उच्च तथा माध्यम वर्ग द्वारा कन्या भ्रूण हत्या एक प्रमुख सामाजिक समस्या हैं इसके निवारण हेतु अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओ का क्रियान्वयन केंद्र तथा राज्य सरकारो द्वारा कन्या सशक्तिकरण हेतु अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन समाज समय पर किया जाता रहा हैं। कन्या निरोधक अधिनियम 1994 के माध्यम से इसे एक दंडनीय अपराध भी घोषित किया जा चुका हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात के दर 940 हैं, यह आकड़ा 2011 में 933 था। आदिवासी समुदायों में समाज की गैर आदिवासी समुदायों की तुलना में असमानता तथा लिंगभेद की निम्नता पायी जाती हैं। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश में जनजातीय लिंगानुपात 984 हैं जबकि भारत में जनजातीय लिंगानुपात 990 हैं। निरंतर वृद्धि करते यह आकड़े यह दर्शाते हैं कि जनजातीय समाज में अन्य समूहों की भांति समान शिक्षा के अवसर न प्राप्त होने के पश्चात भी उनमें कन्याओं के प्रति सकारात्मक मनोवृति हैं।

रहन-सहन की स्थिति

रहने के लिए मकान, पीने के लिए शुद्ध जल, एवं जीवनयापन करने हेतु भोजन की आवश्यकता किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मात्र 8.4% जनजातीय जनसँख्या पेयजल मुख्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करती हैं जबकि 41.5% जनजातीय घरो में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हैं एवं वे बाहरी स्रोतों के माध्यम से पेयजल की प्राप्ति करते हैं तथा 23.9% जनसँख्या घरों में पाइप लाइन के माध्यम से जल की प्राप्ति होती हैं।

NSSO रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश की लगभग 70% जनजातियां कच्चे मकानों में निवास करती हैं। 2011 जनगणना में जनजातियों की पेयजल व्यवस्था, मकानों की स्थिति, सुलभ शौचालय की उपलब्धता आदि की निम्न स्थिति का विवरण दिया गया था इन समस्याओं के वर्तमान समय में प्रभावी होने का एक प्रमुख कारण सरकारी

योजनाओ का समुचित लाभ आदिवासियों को न मिल पाना हैं तथा इनके आर्थिक स्थिति के निम्न होने का कारण उत्पादकता में इनके सक्षम ना होने को बताया गया हैं।

ईंधन प्रयोग

मध्यप्रदेश की सर्वाधिक जनसँख्या लकड़ियों के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं मात्र 10% जनजातीय समूहों में भोजन पकने हेतु प्रदूषण मुक्त ईंधन का प्रयोग किया जाता हैं। मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि ओडिशा, राजस्थान आदि राज्यों में भी अधिकतर ऐसे ईंधन का प्रयोग भोजन निर्माण में किया जाता हैं जिसमे सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषण की उत्पत्ति होती हैं यह आकड़े स्पष्ट करते हैं कि सरकार द्वारा संचालित उज्जवला योजना का लाभ आदिवासी समुदायों को निम्न स्तर पर प्राप्त हुआ हैं एवं जिन्हे प्राप्त भी हुआ हैं उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें पुनः उनसे भरवाने हेतु सक्षम नहीं हैं ।

बिजली की उपलब्धता

2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में 53% आदिवासी समुदायों के घरों में बिजली की उपलब्धता हैं इनमे से 80% नगरीय परिवार एवं 51% ग्रामीण परिवार सम्मिलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली उपलब्धता की कमी जनजातीय वंचना को दर्शाती हैं। मध्यप्रदेश के गैर आदिवासी समुदाय में बिजली की उपलब्धता 70% हैं जो तुलनात्मक जनजातीय वंचना को दर्शाते हैं ।

विवाह के समय आयु

आदिवासियों में प्राचीन काल से विवाह का प्रचलन रहा हैं जिसके कारण इन समाजो में मातृ स्वास्थ्य की निम्न स्थिति कमजोर बच्चों तथा जन्म के पश्चात ही बच्चे की मृत्यु की अधिकता पायी जाती हैं। काम आयु में विवाह के कारण महिला गर्भधारण हेतु पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाती हैं जो जनजातीय समाज में अधिक बाल एवं मातृ मृत्यु दर का कारण हैं।

NFHS रिपोर्ट 1998-99 के अनुसार मात्र 15 वर्ष की आयु में जनजातीय समाज में महिलाओ का विवाह कर दिया जाता हैं विभिन्न जागरूकता अभियान, आशा कर्मचारियों की नियुक्ति, कन्या शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आधी माध्यमों से इनमे जागरूकता का प्रसार हुआ हैं। NFHS रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार वर्तमान समय में लगभग 19.5 वर्ष की आयु में जनजातियों में विवाह किया जा रहा हैं।

साक्षरता दर

जनजातीय समाज अन्य समाज के लोगो से निरंतर बहिष्कृत रही हैं क्योंकि ये अपने भिन्न संस्कृतियों तथा प्रथाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं जिसके कारण समाज के अन्य गैर अनुसूचित समूहों द्वारा इन्हे रूढ़िवादिता, अंधविश्वास से संलिप्त मानते हुए इन्हे अलग कर दिया जाता हैं जिसके कारण जनजातीय समुदाय कभी भी समाज के अन्य समूहों से समावेशित नहीं हो पायी हैं । समाज के अलग -थलग रहने के कारण इनमे अशिक्षा, निम्न गतिशीलता, जागरूकता की कमी, सरकारी योजनाओं से अपरिचितता आदि समसयाओ का सामना इन्हे निरंतर करना पड़ता हैं । पंचायती राज व्यवस्था एवं PESA अधिनियम के माध्यम से भारतीय सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर इन्हे इनके लिए लाये गए योजनाओ से परिचित करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं जिसके परिणामस्वरूप 2011 की जनगणना के अनुसार में सर्वाधिक 50.06% जनजातीय जनसँख्या शिक्षित पायी गयी हैं यह आकड़ा 2011 में 40% से भी कम था । निरंतर वृद्धि करती जनजातीय साक्षरता दर मध्य प्रदेश के जनजातियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक झुकाव को प्रदर्शित करती हैं ।

गरीबी रेखा

जनजातियों को एक ऐसे समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता हैं जिनमे आत्मनिर्भरता, एकजुटता एवं आपसी बंधुत्व की परिपूर्णता पायी जाती हैं एवं इनका उत्पादन मात्र अपने परिवार के उपभोग के लिए होता हैं । बढ़ते आधुनिक समाज में अनेको ऐसे विकासशील परियोजनाओं का गठन किया गया जिसके कारण इन्हे अपने मूलनिवास से विस्थापित होना पड़ा तथा इनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय होती चली गयी । अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक वंचित एवं गरीब समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता हैं । पंचायती राज व्यवस्था के परिणामस्वरूप

ग्रामीण स्तर पर अनेक योजनाओं, जैसे मनरेगा, स्वर्ण सिंह रोजगार योजना आदि का क्रियान्वयन किया गया जिसके माध्यम से जनजातीय समाज कृषि तथा पशुपालन के अलावा अन्य क्षेत्रो में भी सम्मिलित हुआ हालांकि आज भी इनका प्रतिनिधित्व अन्य की अपेक्षा अत्यंत निम्न हैं । मिलिनियम डेवलपमेंट गोल के 2018 के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में 53.17% जनजातीय जनसँख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती हैं जो समाज के किसी भी अन्य समूह में सर्वाधिक हैं । NSSO रिपोर्ट 2004-05 में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली जनजातीय जनसँख्या का आकड़ा 77.02 % था। मिलेनियम विकास लक्ष्य,सतत विकास लक्ष्य, पंचायती राज व्यवस्था आदि अनेको नीतियों के माध्यम से जनजातीय विकास में निरंतर सुधार हो रहा हैं किन्तु अभी भी समाज का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी के रूप में बहिष्कृत तथा वंचित हैं जिसको मुख्यधारा में सम्मिलित कर पाना केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ -साथ नीतिकारों के लिए भी एक प्रमुख समस्या का विषय हैं ।

निष्कर्ष

भारत में जनजातीय विकास के लिए कार्यरत केंद्र तथा राज्य सरकारो के समक्ष जनजातियों की जागरूकता की कमी, नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति अपरिचितता एक प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं जिसके निवारण का एकमात्र विकल्प शैक्षणिक गतिविधियों में जनजातियों को सम्मिलित करके, साक्षरता दर में वृद्धि के माध्यम से किया जा सकता हैं क्योंकि वर्तमान समय में जनजातियों में साक्षरता की दर समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा निम्न हैं । मध्य प्रदेश के जनजातियों पर आधरित प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से पता चलता हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जनजातीय विकास में एक प्रमुख भूमिका रही हैं जिसके फलस्वरूप उनमे अनेको सामाजिक कुप्रथा जैसे बाल विवाह , काम आयु में गर्भ धारण , शिक्षा के प्रति अरुचि , आदि समस्याओं में कमी आयी हैं जिससे जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रो में प्रतिनिधित्व बढ़ा हैं किन्तु वर्तमान समय में भी 55% जनजातीय समुदायों का गरीबी रेखा से नीचे निवास करना एक प्रमुख समस्या का विषय हैं। सरकार द्वारा संचालित आवास योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओ का लाभ जनजातियों को प्राप्त नहीं हुआ हैं जिसके कारण अधिकतर जनजातीय निम्न गुणवत्ता युक्त जीवन निर्वाह, प्रदूषण युक्त ईंधन, पेयजल की समस्याओ से ग्रषित हैं जो उनके निम्न स्वास्थ्य स्थिति

के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार को संचालित योजनाओ के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक जागरूकता में वृद्धि करनी चाहिए जिससे अनुसूचित जनजातियां अधिक लाभान्वित हो सके तथा समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सके।

संदर्भ सूची

- Census of India, Ministry of Home Affairs (New Delhi, 2013).
- Channa, karuna (1993) Accessing higher education : the dilemma of schooling women, minorities, Scheduled tribe and scheduled tribes in contemporary India.
- Kumar, A. B. (2002). Decentralisation in Madhya Pradesh, India:from Panchayati Raj to Gram Swaraj (1995 to 2001). Overseas Development Institute.
- Minz, kumar sumit (2020) Tribal development policies in India : iys implication and prospects. Researchgate/ 343541858
- M.P. to receive award for excellent implementation of PESA Act. (2016, April). The Hindu.
- National commission for scheduled Tribes, New Delhi: Ministry of Tribal Affairs
- NFHS Reports 1998-99, 2015-18
- NSSO (2004) national sample survey (NSS), 61st round, 2004-05, National sample survey Office, New Delhi.
- Pantham, T. (1988). Interpreting Indian Politics: Rajni Kothari and his Critics. Contributions to Indian Sociology, 22(2), 229-246. https://doi.org/10.1177/006996688022002005
- Sen, A. (2000). A Decade of Human Development. *Journal of Human Development*, *1*(1), 17–23. https://doi.org/10.1080/14649880050008746
- Singh, D. R. (2016). PANCHAYATI RAJ SYSTEM IN INDIA:AN ANALYSIS. International Journal of Information Movement.

- Tarh, Tame (2014) Role of Panchayti Raj institution in Rural Development : study of a tribal village in Arunanchal Pradesh 10.2139/ssrn.2556301 ssrn Electronic journal.